न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 56/2014 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 06.08.2014
G.C.M.S. NO. :_ 2014/00027

1–दिनेश पिता मांगीलाल कुमावत आयु वयस्क, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–मांगीलाल पिता बाबरू कुमावत आयु वयस्क, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–धन्ना उर्फ धनराज पिता नाथू कुमावत आयु वयस्क, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–हिम्मत लाल पिता नाथू कुमावत आयु वयस्क, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–टमु बाई पत्नि धन्ना कुमावत आयु वयस्क, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थीगण/निगराकारगण

बनाम

1–श्रीमति बाली बाई पत्नि शिवलाल नंगारची जाति ढ़ोली, आयु वयस्क, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत बिलोट, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध बुक संख्या 107 से जारी पट्टा संख्या 001 दिनांक 13.02.2013 ग्राम पंचायत बिलोट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 56/2014 (नि.पं.)
दिनेश पिता मांगीलाल कुमावत निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम श्रीमति बाली बाई पत्नि शिवलाल नंगारची, निवासी बिलोट, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

उपस्थिति : 1-श्री मनोहर लाल दक, अधिवक्ता निगराकारगण
2-श्री चांदमल गर्ग, अधिवक्ता गैर निगराकारगण

निर्णय

दिनांक 20.09.2024

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिलोट द्वारा विपक्षी/गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 001 दिनांक 13.02.2013 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने विपक्षी/गैर निगराकार संख्या 1 का विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा होना एवं गैर निगराकार संख्या 1 को बी. पी. एल. बताकर निः शुल्क पट्टा जारी किया है जबकि विवादित भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। बिना पंचायती राज नियमों की पालना किये पट्टा जारी किया है जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिलोट द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 001 दिनांक 13.02.2013 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकारगण की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक गर्ग ने अधिकार पत्र पेश किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिलोट से पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा संख्या 001 दिनांक 13.02.2013 को जारी किया है वो न्याय, नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 को बी. पी. एल. परिवार मानते हुए निः शुल्क पट्टा जारी किया है जबकि निः शुल्क भूखण्ड आवंटन की प्राथमिक शर्त यह है कि आवंटी के परिवार के पास कोई भी घर या निवास स्थान नहीं होना चाहिए जबकि गैर निगराकार संख्या 1 को ग्राम बिलोट में काफी लम्बे अरसे से स्वयं का मकान स्थित है जिसमें उसका लड़का एवं गैर निगराकार संख्या 1 निवासरत है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक भूमि जहां पीपल का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेड़ एवं चबूतरा स्थित है जहां गांव की महिलाएं दशामाता का पूजन करती है उक्त सार्वजनिक स्थान का नियम 157 (2) के तहत निः शुल्क पट्टा जारी किया है पंचायती राज नियमों के तहत निः शुल्क पट्टा केवल 150 वर्ग गज तक का दिया जा सकता है जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नियमों को ताक में रखते हुए गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में 2800 वर्गफीट का निः शुल्क पट्टा जारी किया है जो किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिवस में कार्यालय में बैठे–बैठे ही गुपचुप तरीके से खानापूर्ति करते हुए पट्टा जारी कर दिया जो न्याय एवं नियमों के विपरीत होने तथा विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 001 दिनांक 13.02.2013 निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए पूर्ण जांच पड़ताल कर गैर निगराकार संख्या 1 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया है जो पूर्णतः विधि–सम्मत जारी किया है विधिवत् मिसल कायम कर, मौका निरीक्षण कर, आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एवं गैर निगराकार संख्या 1 बी. पी. एल. परिवार की होने से उसे निः शुल्क पट्टा जारी किया है जो नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी किया है अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी करने हेतु तैयार मिसल संख्या 02 दायर दिनांक 06.02.2013 का अवलोकन किया जिसके अनुसार पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त होने से पट्टा जारी करने तक की कार्यवाही एक साथ टाईप की गई है जिसमें बीच–बीच में दिनांक हाथ से लिखी गई है जिससे प्रथम दृष्टया सारी कार्यवाही एक ही दिवस में कार्यालय में बैठे–बैठे तैयार करने संबंधी पुष्टि होती है।

मिसल पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट प्रतिवेदित है कि पत्रावली में दिनांकों में कांट–छांट की गई है दिनांक 12.02.2013 मे कांट–छांट कर उसे दिनांक 06.02.2013 बनाया गया है। पट्टा जारी किये जाने से पूर्व पंचायती राज नियम 148 के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु एक माह का सूचना पत्र/नोटिस जारी किये जाने का प्रावधान है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा 1 महीने का नोटिस जारी नहीं करके मात्र 07 दिवस

का उजरदारी नोटिस जारी किया गया है तथा उक्त नोटिस किन व्यक्तियों के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया है किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है जो कि राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरीत होकर नियम 148 का स्पष्ट उल्लंघन है।

राज. पंचायती राज नियम, 1996 नियम 158 के अनुसारः-''पंचायत अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहिन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनमें गृह-स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, को ग्रामीण आबादी में 150 वर्ग गज आबादी, भूमि का मुफ्त आवंटन भी कर सकती है।'' लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को 2800 वर्गफीट अर्थात् 311.11 वर्ग गज के भूखण्ड का निः शुल्क आवंटन किया गया है जो कि किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता एवं नियम 158 का स्पष्ट उल्लंघन है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् पंचायती राज नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है तथा कार्यालय में बैठे-बैठे ही मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए एक ही दिवस में सम्पूर्ण मिसल तैयार किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में मिसल संख्या 02 दायर दिनांक 06.02.2013 से दिनांक 13.02.2013 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बिलोट, पंचायत समिति, डूंगला द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में बुक संख्या 107 से जारी पट्टा क्रमांक 001 दिनांक 13.02.2013 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official